

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

18/6/26

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 22,37,87,140/- (बाईस करोड़ सैतीस लाख सतासी हजार एक सौ चालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 22,37,87,140/- (बाईस करोड़ सैतीस लाख सतासी हजार एक सौ चालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र सं	प्रमंडल का नाम	अध्याच ना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सहरसा	31103	Construction of 560 Bedded Minority +2 Residential School Building for Minority Welfare Department at Mauja Basona in Kahara Block of Saharsa District.	495 / 20.12.2024	8,51,08,700 / - (आठ करोड़ इक्यावन लाख आठ हजार सात सौ रुपये)
1.	भवन प्रमंडल, सुपौल	31965	सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमंडल के बसंतपुर अंचल, मौजा-कोचगामा में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित)	344 / 04.10.2024	8,78,17,360 / - (आठ करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार तीन सौ साठ रुपये)
2.	पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना	30927	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत अंचल-मसौढ़ी मौजा-नूरा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य	442 / 20.11.24	5,08,61,080 / - (पाँच करोड़ आठ लाख इकसठ हजार अस्सी रुपये)
कुल					22,37,87,140 / -

(बाईस करोड़ सैतीस लाख सतासी हजार एक सौ चालीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यशीर्ष -4225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यको के कल्याण, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0103-अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय **विपत्र कोड-03-4225040510103** के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल, होंगे।
- इस राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।